आविप्रा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के मानचित्र स्वीकृत–पत्र)

मैप नं0–12/बी0एफ0एच/04/14–15 दिनांक :- 21/9/2020

श्री अन्जली गुप्ता, श्रीमती नीलम गुप्ता
निवासी–102, गांधी नगर,
आगरा।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.14 के सन्दर्भ में आपके सब डिविजन की मौहल्ला/कालोनी प्लाट संख्या, खसरा संख्या–115भाग, मौजा जगनपुर, आगरा, पर निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. मानचित्र की वैधता अवधि पूर्व स्वीकृत मानचित्र के अनुसार दिनांक 23.09.2022 तक प्रभावी होगी।
2. आवेदक रोड वाइडनिंग हेतु स्वेच्छा से छोड़ी गयी भूमि के लिए प्राधिकरण से कोई मुआवजे की मांग नहीं करेगा तथा उसका विकास स्वयं के संसाधनो से करेगा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. निर्माण सामिग्री को निर्धारित स्थलों पर ढक कर रखा जाय तथा समुचित प्रकार से पानी का छिड़काव किया जाय।
4. निर्माण समिग्री को लान व ले जाने वाले वहनों के टायर/बॉडी की भली–भाँति धुलाई की जाय तथा निर्माण सामग्री को ढक कर ले जाया जाय।
5. निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को निर्धारित स्थल तक ढक कर ले जाया जाय तथा सडकों के किनारे अनयंत्रित रूप से एकत्रित न किया जाय।
6. निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को पुनः प्रयोग किये जाने हेतु स्थल निर्धारित करते हुए प्लान्ट स्थापित किया जाये।
7. पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों व उद्यानों से जनित अपशिष्ट को जलाया न जाय अपितु निर्धारित स्थलों पर कम्पोस्ट पिट बनाकर निस्तारित किया जाय।
8. प्राधिकरण स्तर द्वारा उक्त निर्देशों के उल्लंघन पर व्यक्तियों/संस्थाओं के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।
9. भू–स्वामित्व सम्बन्धी वाद–विवाद होने की स्थिति में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. आवेदक को रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू–जल की रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना करनी होगी।
11. प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
12. निर्माण कार्य भवन उपविधि में निर्धारित योग्यता रखने वाले दक्ष अभियन्ता तथा वास्तुविद की देखरेख में कराना होगा ताकि भवन की संरचनात्मक सुरक्षा तथा भूकम्परोधी व्यवस्था उनके द्वारा सुनिश्चित की जाये।

13. निर्माण सामग्री अथवा मलबा को मैटल्ड रोड पर स्टोर नहीं किया जायेगा। मैटल्ड रोड से अलग निर्माण सामग्री को एकत्रित करने हेतु स्थल का चिंहाकन करना होगा।

14. पर्यावरण एव वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन–2010 के अनुसार आवेदक/भवन स्वामी निर्माण स्थल, सड़क गली व कालोनी में स्थित निर्माण सामग्री को ढ़क कर रखवायेगा तथा भवन निर्माण सामग्री का भण्डारण ऐसे स्थान पर किया जाये कि वह उड़कर हवा में न फेले। आवेदक को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी गाईलाइन–2010 में निहित समस्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

15. ऐसे कर्मचारी जो स्थल पर निर्माण कार्य कर रहे हैं अथवा निर्माण सामग्री को चढ़ाने व उतारने का कार्य करते हैं, विकासकर्ता द्वारा उन्हें मास्क उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि डस्ट उनके स्वास्थ्य में न जायें तथा ऐसे कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा व आवश्यक जाँच व उपचार की उचित व्यवस्था किया जाना होगा।

16. पत्थर काटने व ग्राइण्डिंग का कार्य करते समय पर्यावरण में डस्ट पार्टिकल न उड़कर जायें, उसकी उचित व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित करवायी जायेगी तथा निर्माण स्थल पर हवा को रोकने के लिए दीवार आदि भी बनाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। आवयकतानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।

17. भविष्य में यदि किसी विभाग की देयता बनती है तो पक्ष को देय होगी।

18. स्थल पर मानचित्र स्वीकृत से सम्बन्धित विवरण अंकित कर बोर्ड लगाना होगा।

19. नियत अवधि में अन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर नगर निगम/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तान्तरित करनी होगी।

20. पर्यावरण स्वीकृति की अपेक्षा वाली कोई भी भवन अथवा अवसंरचना परियोजना धूल उपशमन उपायों सहित अनुमोदित पर्यावरणीय प्रंबधन योजना के बिना कार्यन्वित नहीं की जायेगी।

21. निर्माण स्थलों पर या वहां तक जाने वाली सड़कें खड़जा और ब्लैकटॉप्ड (अर्थात मैटेलिक सड़के) होनी चाहिये।

22. पर्याप्त धूल उपशमन उपायों के बिना मिट्टी की खुदाई नहीं की जायेगी।

23. कोई भी मिट्टी या रेत या निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट या धूल वाली कोई अन्य निर्माण समाग्री बिना ढके नहीं छोड़ी जायेगी।

24. समुचित ऊंचाई अर्थात भवन की ऊंचाई की 1/3 और अधिकतम 10 मीटर तक के विंड–ब्रेकर की व्यवस्था की जायेगी।

25. निर्माण स्थल पर जनता को आसानी से दिखाई देने के लिए धूल उपशमन उपायों का स्पष्ट तौर पर प्रदर्शन किया जायेगा।

26. मानचित्र की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे–नगर निगम, ए0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।

27. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, उसी प्रयोग में लाया जायेगा।

28. नियमानुसार रेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

29. आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने हेतु नियमानुसार प्राधिकरण के साथ अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

30. शासनादेश संख्या–1811/8–3–14–211 विविध/13 दिनांक 17.11.2014 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिभूति आन्तरिक विकास के सापेक्ष बंधक रखनी होगी।

31. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी, उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

32. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।

33. सड़क, सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखी जायगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

34. स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके।

35. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो शर्त भी मान्य होगी।

36. सड़क पर अथवा बैक लेन में कोई रैम्प नहीं बनाये जायेंगे। रैम्प अपनी ही भूमि पर बनाया जायेगा।

37. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी, उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

38. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 16.03.2020 का पालन करना होगा।

39. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।

40. निर्माण का स्ट्रक्चरल सेफ्टी, गुणवत्ता, वर्क मैनशिप एवं निर्माण के समय सुरक्षा आदि का समस्त उत्तरदायित्व भू–स्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।

41. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गई है, निरस्त की जा सकती है।

42. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आंकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हों, चाहें भले ही ऐसे प्रक्षेप में भूल से इन नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।

43. ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा–293 के अधीन पृथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

44- यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि व सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें, जहाँ पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0प्र0विद्युत परिषद् द्वारा न हटा दिये जायें।

45- भवन निर्माण उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15(3) के अन्तर्गत इस प्रतिबंध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक भू–स्वामित्व के लिए विधितः बाध्य नहीं है।

46. थल पर कराये जाने वाले निर्माण कार्य ऐसे श्रमिकों के माध्यम से कराया जायेगा जिनका पंजीयन श्रम विभाग से अवश्य हो।

47. निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले मजदूरों के फोकल स्लज को सुरक्षित निस्तारण हेतु स्थल पर शौचालय/मोबाईल शौचालय की व्यवस्था करनी होगी।

48. भवन का प्लिन्थ लेबिल तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर भवन/स्वामी निर्माणकर्ता स्थल के जी0पी0एस0 कोर्डिनेट तिथि एवं समय के साथ डिजीटल फोटोग्राफ आगरा विकास प्राधिकरण को अपलोड़ कर प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि मौके पर फोटोग्राफ्स के अनुसार ही निर्माण किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि भवन स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर– 3.1.1 के अन्तर्गत अनुज्ञा से छूट से इतर निर्माण कराया गया है तो आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा सील किए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उसके लिए वह किसी कार्य की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा।

संलग्नक : एक सेट स्वीकृत मानचित्र।

21/9/2020

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

प्रतिलिपि :

प्रवर्तन खण्ड, आ0वि0प्रा0, आगरा को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

आ॰वि॰प्रा॰

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्याः–12 / बी0एफ0एच / 04 / 14–15 दिनांकः–24/02/21

पूर्णता प्रमाण–पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या–115, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित उपविभाजन मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी / अधिशासी अभियन्ता / नगर नियोजक / अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं0–12 / बी0एफ0एच / 04 / 14–15 दिनांक 21.09.2020 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के अधीन जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तो का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यो के रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

24/2/21

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

प्रपत्र–द

विन्यास मानचित्र के पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन पत्र

(उपविधि संख्या–2.1.8)

आगरा विकास प्राधिकरण

भाग–अ

1. (i) आवेदक का नाम — NEELAM GUPTA & ANJALI GUPTA
   (ii) वर्तमान पता — GANDHI NAGAR
2. खसरा / भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम / मोहल्ला / वार्ड — KH.NO. 115 (PART), MAUJA JAGANPUR, AGRA
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) — 2759.54 SQM.
4. अनुमन्य भू–उपयोग — RESIDENTIAL
   (i) विन्यास मानचित्र स्वीकृति की तिथि — 17/09/18
   (ii) परमिट संख्या — 20180730182732430
   (iii) यदि अनधिकृत विकास का शमन कराया गया हो तो शमन शुल्क जमा करने की रसीद संख्या व दिनाँक का विवरण देते हुए शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें — ....
5. भू–उपयोग का विवरण :

क्रमांक	भू–उपयोग की श्रेणी	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार		विकसित		विचलन	
		क्षेत्रफल (व. मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व. मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व. मी.)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
(i)	आवासीय	2233.43	81.88	2233.43	81.88		
(ii)	वाणिज्यिक	-					
(iii)	अन्य	-					
(iv)	पार्क एवं खुला स्थान	-					
(v)	सड़कें तथा गलियाँ	493.99	18.12	493.99	18.12		

CA/2007/39405

नीलम गुप्ता
Anjali Gupta

आ|वि|प्रा

<u>आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा</u>

पत्रांक संख्याः–12 / बी0एफ0एच / 04 / 14–15 दिनांकः– 24/02/2

<u>पूर्णता प्रमाण–पत्र</u>

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या–115, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित उपविभाजन मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी / अधिशासी अभियन्ता / नगर नियोजक / अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं0–12 / बी0एफ0एच / 04 / 14–15 दिनांक 21.09.2020 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के अधीन जारी किया जाता है।

<u>शर्तेः–</u>

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तो का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यो के रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

24/2/21

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

6. सुविधाओं की स्थिति :

क्रमांक	सुविधाएं	स्वीकृत मानचित्र में प्राविधान		पूर्णता मानचित्र में प्राविधान			
		संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	पूर्ण		अपूर्ण	
				संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)
(i)	प्राइमरी स्कूल	-					
(ii)	हायर सेकेण्डरी स्कूल	-					
(iii)	डिग्री कालेज	-					
(iv)	डिस्पेन्सरी	-					
(v)	अस्पताल	-					
(vi)	पोस्ट आफिस	-					
(vii)	कम्युनिटी सेन्टर	-					
(viii)	पुलिस स्टेशन	-					
(ix)	फायर स्टेशन	-					
(x)	टेलीफोन एक्सचेंज	-					
(xi)	बस स्टेशन	-					
(xii)	टैक्सी स्टैण्ड	-					
(xiii)	जन–सुविधाएं	-					
(xiv)	अन्य–सुविधाएं	-					

7. निम्न विकास कार्य विन्यास मानचित्र पर अंकित करें :–

(i) सड़कें

(ii) सड़क के किनारे वृक्षारोपण (आरबोरीकल्चर)

(iii) पुलिया (कल्वर्ट)

(iv) मार्ग प्रकाश व्यवस्था

(v) पेयजल वितरण प्रणाली जिसमें स्लूइस–वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाईड्रेन्ट दर्शाए गए हों तथा भूमिगत जल नलिकाओं का व्यास अंकित हो।

(vi) ओवर हैड टैंक व भूमिगत जलाशयों की स्थिति एवं उनकी क्षमता, पम्पों की संख्या एवं उनकी क्षमता।

(vii) सीवर प्रणाली जिसमें पाइप का व्यास, इन्वर्ट लेबल देते हुए मेन होल, गली पिट्स की स्थिति ।

(viii) सीवेज, पम्पिंग स्टेशन की स्थिति, उसकी क्षमता तथा पम्पों की संख्या एंव क्षमता (यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त विकास किया गया है)

(ix) बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था।

(x) विद्युत आपूर्ति प्रणाली जिसमें ट्रान्सफार्मस तथा 11 के.वी.ए. सब–स्टेशन की स्थिति एवं ट्रान्सफार्मस की क्षमता अंकित हो।

(xi) सीवर का अन्तिम निस्तारण–विकास प्राधिकरण / आवास एवं विकास परिषद / स्थानीय निकाय आदि की ट्रंक सीवर लाईन में जोड़ने का विवरण।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्याः–12 / बी0एफ0एच / 04 / 14–15 दिनांकः–.............

पूर्णता प्रमाण–पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या–115, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित उपविभाजन मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी / अधिशासी अभियन्ता / नगर नियोजक / अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं0–12 / बी0एफ0एच / 04 / 14–15 दिनांक 21.09.2020 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के अधीन जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तो का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यो के रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

24/2/21

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

(xii) ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम।

8. **शहर की अवस्थापना प्रणाली से संयोजन की स्थिति / व्यवस्था :–**

(i) सड़कें

(ii) पानी की निकासी (ट्रंक नाले से जोड़ने की व्यवस्था)

(iii) पेयजल की व्यवस्था (जल संस्थान / विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय आदि से संयोजन की व्यवस्था)

(iv) विद्युत व्यवस्था (33 के.वी.ए. / 11 के.वी.ए. लाइन से संयोजन की स्थिति व ट्रांसफार्मर की स्थिति)

(v) सीवर / ट्रंक सीवर से संयोजन की स्थिति

9. **विन्यास मानचित्र में आन्तरिक परिवर्तन**

(i) उपविधि के अन्तर्गत है / नहीं है — हाँ / नहीं

(ii) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है। — हाँ / नहीं

अथवा

पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृत है। — हाँ / नहीं

(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. **विकास कार्यों के मानकों एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में सूचना :–**

विन्यास मानचित्र के साथ स्वीकृत विकास कार्यो के मानक एवं विशिष्टियों में कोई विचलन नहीं हुआ है।

अथवा

विकास कार्यो के मानक एवं विशिष्टियों में विचलन है जिसका अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जा चुका है (प्रमाण पत्र संलग्न है) अब कोई ऐसा विचलन नहीं है जो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत न हो।

आवेदक का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी / हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। विन्यास मानचित्र में भू–उपयोग वितरण प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र कें अनुसार है। सभी सुविधाएं एवं विकास कार्य अनुबन्ध के अनुसार हैं। अतः मुझे / हमें उपरोक्त वर्णित ले–आउट प्लान का पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाए।

संलग्नक अभिलेख :–

1.

2.

3.

दिनांक : 04/02/2021

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

नोट : उक्त सूचना केवल आवदेन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्याः–12/बी0एफ0एच/04/14–15 दिनांकः–24/02/21

पूर्णता प्रमाण–पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या–115, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित उपविभाजन मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिशासी अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं0–12/बी0एफ0एच/04/14–15 दिनांक 21.09.2020 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) क` अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के अधीन जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तो का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यो के रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

24/2/21

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

AR

परिशिष्ट–3

भाग–ब

पंजीकृत वास्तुविद् / नगर नियोजक का प्रमाण पत्र
(विन्यास मानचित्र हेतु)

मैंने श्री / श्रीमती NEELAM GUPTA & ANJALI GUPTA (आवेदक का नाम) का. HARIPARWAT. वार्ड स्थित क्षेत्र / योजना KH.NO. 115(PART), MAUJA JAGANPUR, AGRA का निरीक्षण दिनांक . .01/02/2021. . को किया तथा उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं स्थल जाँच के उपरान्त सही पाई गई हैं। इस संदर्भ में मेरी जाँच आख्या निम्नवत् है :–

विकास के सभी कार्य आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित एवं स्वीकृत मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप हैं।

अथवा

विकसित योजना, विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र / लागू उपविधियों के अनुरूप है।

अथवा

विकसित योजना में स्वीकृत विन्यास मानचित्र से विचलन है जो क्रमांक–9 पर अंकित कर दिया गया है तथा शमन योग्य विचलन का शमन कराया जा चुका है।

उक्त स्थिति में पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर :

पंजीकृत वास्तुविद् / नगर नियोजक

नाम / पता . . . .

लाइसेन्स संख्या . . . .

दिनांक . . **04/02/2021** . . .   लाइसेन्स वैधता की अवधि . . . .

भाग–स

रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र
(विन्यास मानचित्र हेतु)

विकसित योजना में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र / लागू उपविधियों के अनुरूप है।

हस्ताक्षर :

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति

नाम / पता . . . .

लाइसेन्स संख्या . . . .

दिनांक . . **04/02/2021** .   लाइसेन्स वैधता की अवधि . . . .